

सरकारी कर्मचारी द्वारा स्व-प्रमाणन हेतु प्रपत्र

Proforma for self-certification by the Government employee

1. मैं श्री/श्रीमती/सुश्री _____ (सरकारी कर्मचारी का नाम) यह पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं स्वयं/परिवार के सदस्यों के लिए _____ (गंतव्य का स्थान) जाने हेतु ब्लॉक/कैलेंडर वर्ष _____ का _____ (गृह नगर/भारत में किसी भी जगह) एल.टी.सी लाभ _____ से _____ के दौरान (यात्रा की अवधि) उपयोग कर रहा हूँ। यह प्रमाणित है कि मैं या परिवार के सदस्य जिनके किए मैं एलटीसी का लाभ उठाना चाहता/चाहती हूँ, ने वर्तमान ब्लॉक में पहले इसका लाभ नहीं उठाया है।

I Sh/Smt/Km _____ (Name of the Govt. servant) wish to confirm that I am availing _____ (Hometown/Any place in India) LTC in respect of self/family member (s) for the Block/Calendar year _____ to visit _____ (Place of visit) during _____ to _____ (dates of journey). It is certified that I or the family member for whom I wish to avail of LTC has/have not availed of the same before in the present block.

2. परिवार के उन सदस्यों का विवरण जिनके लिए अवकाश यात्रा रियायत का दावा किया जा रहा है, निम्नानुसार है: -

Particulars of members of family in respect of whom the Leave Travel Concession is being claimed are as under :-

क्र. सं. Sl. No.	नाम Name(s)	जन्मतिथि Date of Birth	सरकारी कर्मचारी से संबंध Relationship with the Government servant

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य सत्य हैं और कोई भी गलत कथन मुझे केन्द्रीय सिविल सेवा (एलटीसी) नियम, 1988 के नियम 16, और प्रासंगिक अनुशासनात्मक नियमों के तहत उचित कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बना देगा।

It is certified that the above facts are true and any false statement shall make me liable for appropriate action under Rule 16 of CCS (LTC) Rules, 1988 and the relevant disciplinary rules.

(आवेदक के हस्ताक्षर/Signature of the applicant)

नाम/Name:

पदनाम/Designation:

विभाग/Deptt/वर्तमान तैनाती का स्थान /place of present posting:

वेतन कोड/Salary code:

1. कृपया सुनिश्चित करें कि आपने एलटीसी यात्रा शुरू करने से पहले छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया है और अपने प्रशासन को स्व-प्रमाणन पत्र जमा कर दिया है।

1. Please ensure that you have applied for leave and submitted the self-certification form to your Administration before the LTC journey is undertaken.

2. एलटीसी के लिए आवेदन करने से पहले कृपया अपनी पात्रता की जाँच कर लें। गृहनगर के लिए एलटीसी दो वर्षों के ब्लॉक में एक बार और भारत में किसी भी स्थान के लिए एलटीसी चार वर्षों के ब्लॉक में एक बार ली जा सकती है। यदि इन ब्लॉकों के दौरान एलटीसी का लाभ नहीं उठाया जाता है, तो अगले ब्लॉक के पहले वर्ष में भी एलटीसी का लाभ उठाया जा सकता है।

2. Please check your eligibility before applying for LTC to Hometown can be availed once in a block of two years and LTC to Any Place in India may be availed once in a four-year block. If not availed during these blocks, the LTC may also be availed in the first year of the following block

3. कृपया ध्यान दें कि वर्तमान दो वर्षीय ब्लॉक 2016-17 है और वर्तमान चार वर्षीय ब्लॉक 2014-17 है।

3. Please note that the current two-year block is 2016-17 and the current four-year block is 2014-17.

4. नए भर्ती हुए कर्मचारियों के मामले में, गृहनगर के लिए एलटीसी चार वर्षों के ब्लॉक में तीन बार और भारत में किसी भी स्थान के लिए एलटीसी चौथे अवसर पर दी जाती है। यह सुविधा नए भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए केवल चार वर्षों के पहले दो ब्लॉकों के लिए उपलब्ध है, जो पहली बार सरकारी सेवा में शामिल होने के बाद लागू होते हैं। (विवरण के लिए, कृपया कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.09.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 31011/7/2013-स्था. (ए-IV) देखें, जो 'www.persmin.nic.in' पर उपलब्ध है << "कार्यालय ज्ञापन एवं आदेश" << 'नए भर्ती हुए कर्मचारी की एलटीसी पात्रता पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)')

4. In case of fresh recruits, LTC to Hometown is allowed on three occasions in a block of four years and to any place in India on the fourth occasion. This facility is available to the fresh recruits only for the first two blocks of four years applicable after joining the Government service for the first time. (For details, please refer to DoPT's O.M. No. 31011/7/2013-Estt. (A-IV) dated 26.09.2014 available on 'www.persmin.nic.in << 'OMs & Orders<< "Frequently Asked Questions (FAQs) on LTC entitlements of a Fresh Recruit)

5. कोई भी नया भर्ती हुआ कर्मचारी अपनी इच्छानुसार अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू सामान्य एलटीसी नियमों के तहत एलटीसी का लाभ उठा सकता है। ऐसी स्थिति में, उसे चार वर्षों के उस ब्लॉक में नए भर्ती हुए कर्मचारियों को मिलने वाली अन्य एलटीसी का लाभ उठाने की अनुमति नहीं होगी।

5. A Fresh recruit may at his option choose to avail LTC under the normal LTC rules as applicable to other Government employees. In this case he/she will not be allowed to avail other LTCs as admissible to the fresh recruits in that block of four years

6. सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी अपनी पात्रता के अनुसार एलटीसी का लाभ उठाने के पात्र हैं, बशर्ते कि वापसी यात्रा उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले की गई हो। सेवानिवृत्ति के बाद एलटीसी की अनुमति नहीं है।

6. The retiring Government employees are eligible to avail LTC as per their entitlement provided that the return journey is performed before their date of retirement. LTC is not allowed after retirement.

7. एलटीसी पर यात्राएँ सरकारी कर्मचारी की पात्र श्रेणी में सार्वजनिक/सरकारी परिवहन के साधन से की जानी हैं।

7. The Journeys on LTC are to be undertaken in the entitled class of the Government servant in public/Government mode of transport

8. एलटीसी पर निजी परिवहन साधनों से यात्रा की अनुमति नहीं है, हालाँकि, जहाँ सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है, वहाँ निजी परिवहन के लिए सहायता की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि उपयुक्त प्राधिकारी यह प्रमाणित करें कि उस विशेष यात्रा खंड के लिए कोई अन्य सार्वजनिक/सरकारी परिवहन साधन उपलब्ध नहीं है और ये साधन संबंधित राज्य सरकार/परिवहन प्राधिकरणों के विशिष्ट अनुमोदन से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नियमित रूप से संचालित होते हैं और सार्वजनिक वाहक के रूप में चलने के लिए अधिकृत हैं।

8. Travel by private modes of transport is not allowed on LTC, however, wherever a public transport is not available, assistance shall be allowed for the private transport subject to the certification from an Appropriate Authority that no other public/Government mode of transport is available for that particular stretch of journey and these modes operate on a regular basis from point to point with the specific approval of the State Government/Transport authorities concerned and are authorised to ply as public carriers.

9. यदि कोई सरकारी कर्मचारी एलटीसी पर निकटतम हवाई अड्डे रेलवे स्टेशन तक अधिकृत परिवहन साधन से यात्रा करता है और घोषित यात्रा स्थल तक शेष यात्रा अपनी व्यवस्था (जैसे निजी वाहन या निजी टैक्सी आदि) से पूरी करना चुनता है, जबकि उस हिस्से में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पहले से ही उपलब्ध है, तो उसे उस अंतिम बिंदु तक किराया प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जा सकती है जहाँ तक उसने अधिकृत परिवहन साधन से यात्रा की है। यह सरकारी कर्मचारी द्वारा इस वचनबद्धता के अधीन होगा कि उसने वास्तव में घोषित यात्रा स्थल तक यात्रा की है और निजी स्वामित्व वाले/संचालित वाहन द्वारा की गई यात्रा के भाग के लिए किराया प्रतिपूर्ति का दावा नहीं कर रहा है।

9. If a Government servant travels on LTC upto the nearest airport railway station by authorized mode of transport and chooses to complete rest of the journey to the declared place of visit by 'own arrangement (such as personal vehicle or private taxi etc.), while the public transport system is already available in that part, then he may be allowed the fare reimbursement till the last point where he has travelled by the authorised mode of transport. This will be subject to the undertaking from the Government employee that he has actually travelled to the declared place of visit and is not claiming the fare reimbursement for the part of journey performed by the private owned/operated vehicle.

10. सरकार कर्मचारी अपने और/या अपने परिवार के सदस्यों के लिए यात्रा की प्रस्तावित तिथि से पैंसठ दिन पहले अग्रिम राशि के लिए आवेदन कर सकता है और उसे यात्रा शुरू होने की तिथि पर ध्यान दिए बिना, अग्रिम राशि प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर टिकट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

10. Government servant may apply for advance for himself and/or his family members sixty-five days before the proposed date of the outward journey and he/she is required to produce the tickets within ten days of the drawal of advance, irrespective of the date of commencement of the journey.

11. एलटीसी योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति में आकस्मिक व्यय और स्थानीय यात्राओं पर हुए व्यय शामिल नहीं हैं। यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति केवल सबसे छोटे सीधे मार्ग पर थ्रू टिकट पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा के आधार पर ही दी जाती है।

11. Reimbursement under LTC scheme does not cover incidental expenses and expenditure incurred on local journeys. Reimbursement for expenses of journey is allowed only on the basis of a point-to-point journey on a through ticket over the shortest direct route.

12. एलटीसी दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा है:

यदि कोई अग्रिम राशि नहीं ली गई है, तो वापसी यात्रा पूरी होने के तीन महीने के भीतर;

यदि अग्रिम राशि ली गई है, तो वापसी यात्रा पूरी होने के एक महीने के भीतर।

12. The time limit for submission of LTC claim is:

Within three months of completion of return journey, if no advance is drawn;

Within one month of completion of return journey, if advance is drawn.

13. हवाई यात्रा के हकदार सरकारी कर्मचारियों को एयर इंडिया से केवल इकोनॉमी क्लास में एलटीसी-80 या उससे कम किराए पर यात्रा करनी होगी, जब तक कि किसी सामान्य या विशिष्ट प्रावधान द्वारा ऐसा करने की अनुमति न दी गई हो।

13. Government employees entitled to travel by air are required to travel by Air India only in Economy Class at LTC-80 fare or less unless permitted to do so by any general or specific provision.

14. हवाई यात्रा के हकदार नहीं सरकारी कर्मचारी किसी भी एयरलाइन से यात्रा कर सकते हैं, हालाँकि, ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति किराए तक ही सीमित होगी। उनकी रेलगाड़ी/परिवहन की अधिकृत श्रेणी या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, का भुगतान किया जाएगा।

14. Government employees not entitled to travel by air may travel by any airline, however, reimbursement in such cases shall be restricted to the fare of their entitled class of train/transport or actual expense, whichever is less.

15. सभी मामलों में, जब भी कोई सरकारी कर्मचारी हवाई यात्रा द्वारा एलटीसी का दावा करता है, तो उसे हवाई टिकट सीधे एयरलाइनों के माध्यम से या अनुमोदित ट्रेवल एजेंसियों जैसे: मेसर्स बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड/मेसर्स अशोक टूर्स एंड ट्रेवल्स लिमिटेड/आईआरसीटीसी के माध्यम से बुक करना आवश्यक है। किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से टिकट बुक करना अनुमत नहीं है।

15. In all cases whenever a Govt. servant claims LTC by air, he/she is required to book the air tickets either directly through the airlines or through the approved travel agencies viz: M/s Balmer Lawrie & Co. Ltd./M/s Ashok Tours & Travels Ltd./IRCTC. Booking of tickets through any other agency is not permissible.

16. भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी), राज्य पर्यटन विकास निगम (एसटीडीसी) और भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) द्वारा संचालित यात्राओं को छोड़कर, टूर पैकेज पर यात्रा की अनुमति नहीं है। ऐसे मामलों में, केवल किराया घटक की प्रतिपूर्ति की जाएगी, बशर्ते आईटीडीसी/एसटीडीसी/आईआरसीटीसी अलग से किराया घटक का उल्लेख करें और प्रमाणित करें कि यात्रा वास्तव में सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई थी, जिसके लिए वह अवकाश यात्रा रियायत का दावा कर रहा है।

16. Travel on tour packages is not allowed, except in the case of tours conducted by Indian Tourism Development Corporation (ITDC), State Tourism Development Corporation (STDC) and Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC). In such cases, only the fare component shall be reimbursable provided ITDC/STDC/IRCTC separately indicate the fare component and certify that the journey was actually performed by the Government servant and his family members for which he/she is claiming the Leave Travel Concession

17. कृपया सुनिश्चित करें कि आपका एलटीसी दावा निर्देशों के अनुसार है ताकि आपका दावा अस्वीकार न हो।

17. Please ensure that your LTC claim is as per the instructions to avoid rejection of your claim.

"आपकी यात्रा सुखद हो और आपकी छुट्टियाँ मंगलमय हों।"

"Have a pleasant journey and a happy holiday"